रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73 REGISTERED NO. D--(DN)--7

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 1984 (आषाढ़ 30, 1906)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 1984 (ASADHA 30, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	567
भाग I--खण्ड-2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	919
भाग I--खंड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	31
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1153
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II--खण्ड-1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खंड -3-उप-खंड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1775
भाग II--खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2125
भाग II--खण्ड 3--उप-खंड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	139
भाग II--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	247
भाग III--खंड 1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	16275
भाग III--खंड 2--पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	5[illegible]9
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	81
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2153
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	113
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	

* पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1--151GI/84

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. 567

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) 919

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 21

PART I—SECTION 4—Notification regardings Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1153

PART II——SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. 1775

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) 2125

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) 159

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. 247

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 16275

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 539

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 81

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2153

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 113

PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi .. —

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1984

सं० 77-प्रेज/84—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जय चन्द शर्मा,
उप-निरीक्षक सिविल पुलिस,
स्टेशन अधिकारी," जी० आर० पी० एस०
मेरठ शहर, मेरठ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

18 मार्च, 1983 को प्रातः 10.35 बजे श्री जयचन्द शर्मा, उप-निरीक्षक को दो तस्करों के बारे में सूचना मिली, जो प्लेटफार्म न० 1 के सदर्न लोकेशन बाक्स के पास बैठे हुए थे और जिनके पास 20 कि० ग्रा० अफीम के डोडे थे। इस अफीम की पंजाब को तस्करी की जानी थी। श्री शर्मा एक हैड कांस्टेबल 3 कांस्टेबलों और मुखबिर के साथ तुरन्त घटना स्थल की ओर गए। पुलिस दल को देखकर तस्कर अपने थैले को उठा कर, जिसमें अफीम के डोडे थे, दक्षिण की ओर चलने लगे। तुरन्त श्री शर्मा तस्करों की ओर गए और थैला ले जाने वाले व्यक्ति पर झपटे और उसे पकड़ लिया। अपराधी ने सहायता के लिए शोर मचाया और अपने साथी से कहा कि उप-निरीक्षक को अपनी तलवार से मार डालो। अभियुक्त शिव चरन सिंह ने उप-निरीक्षक के सिर पर तलवार मारी, जो गम्भीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने अपराधी को भागने नहीं दिया।

उप-निरीक्षक को जखमी करने के बाद अभियुक्त शिव चरन सिंह ने बचकर निकलने की कोशिश की लेकिन उसका पीछा किया गया और पुलिस दल ने तलवार सहित उसे काबू में कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त जिला अमृतसर, पंजाब के निवासी पाए गए।

श्री जय चन्द शर्मा, उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मार्च, 1983 से दिया गया जाएगा।

सं० 78-प्रेज/84—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री मुहम्मद हुसनैन,
पुलिस उप निरीक्षक,
खड़गपुर,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

15/16 फरवरी, 1983 की रात को लगभग 10.00 बजे श्री मुहम्मद हुसनैन, उप-निरीक्षक को गांव लाखई, गोबड्डा के निकट 10-15 सशस्त्र नक्सलवादियों, जो हत्या करने की योजना बना रहे थे, की उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। श्री हुसनैन एक पुलिस दल, जिसमें 16 पुलिस कार्मिक थे, के साथ गांव गोबड्डा पहुंचे। पूछताछ करने पर उनको बताया गया कि नक्सलवादियों ने कुछ स्थानीय लोगों को एकत्र किया था और गांव लाखई के निकट एक त्यागे हुए बासा (झोंपड़ा) में बैठक कर रहे थे। दो ग्रामीणों के साथ पुलिस दल बासा के निकट पहुंचा और वहां रोशनी देखी तथा कुछ लोगों को धीमी आवाज में बोलते हुए सुना। पुलिस दल ने उनको ललकारा और उनको अपना परिचय देने के लिए कहा। जवाब में उन्होंने भी पुलिस दल को चुनौती दी। जब पुलिस दल ने अपना परिचय दिया तो नक्सलवादियों ने उन पर गोली चला दी। श्री हुसनैन और पुलिस दल ने भी जवाब में गोली चलाई। रात में हुई गोलाबारी ने गांव लाखई के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सैकड़ों की संख्या में एकत्र हो गए और पुलिस दल के साथ-साथ बासा गए। बासा के मुख्य द्वार पहुंचने पर उन्होंने एक शव पाया जिसके पास ही एक .303 राइफल, पड़ी हुई थी। आसपास के क्षेत्र की छानबीन करने पर एक और शव मिला। मृतकों की बाद में पहचान करने पर मालूम हुआ कि वे जब्बर और कान्ति नक्सलवादी थे। एक .303 राइफल, एक देशी पिस्तौल और कुछ गोलियां उनसे बरामद की।

इस मुठभेड़ में श्री मुहम्मद हुसनैन उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 फरवरी 1983 से दिया जाएगा।

सं० 79-प्रेज/84—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रघुबीर सिंह,
हेड कांस्टेबल,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री पी० वी० ईप्पन,
हेड कांस्टेबल,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री रघुनाथ प्रसाद,
कांस्टेबल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो बटालियनों को ओम्पी (त्रिपुरा) में विद्रोह विरोधी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। 24 मई, 1983, को सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी धनलेखा क्षेत्र के तुंगथाग बस्ती में पहाड़ी पर एक मकान में छिपे हुए थे। हेड कांस्टेबल रघुबीर सिंह की कमाण्ड में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दो सेक्शनों को गश्त ड्यूटी में रिपोर्ट करने के लिए तैनात किया गया। श्री पी० वी० ईप्पन, हेड कांस्टेबल एक सेक्शन इन्चार्ज था और कांस्टेबल रघुनाथ सिंह उसी सेक्शन का सदस्य था। सूचना

का विश्लेषण करने के बाद, दल स्थानीय पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक के साथ आर्मी से केर्पेगपाड़ा (धनसेखा क्षेत्र) की ओर बढ़ा।

हैड कान्स्टेबल रघुबीर सिंह ने दल को दो ग्रुपों में बांटा और स्वयं प्रथम ग्रुप का नेतृत्व किया। उन्होंने हैड कान्स्टेबल पी० वी० ईप्पन के नेतृत्व वाले दल को 50 गज की दूरी पर पीछे आने के लिए कहा। हैड कान्स्टेबल रघुबीर सिंह के नेतृत्व में आगे जाने वाला दल जब लक्षित मकान से 50 गज की दूरी पर था तो उग्रवादियों ने मकान से अचानक उन पर गोलियां चला दीं। उन्होंने अपने आदमियों से मोर्चा सम्भालने के लिए कहा और दूसरे सेक्शन को गोली चलाने का आदेश दिया। वे स्वयं, उग्रवादियों को घेरने के उद्देश्य से रेंगते हुए उनकी तरफ गए। इसी बीच उग्रवादी, जो संख्या में 4 से 5 तक थे, भागते हुए देखे गए। उन्होंने दूसरे सेक्शन को उनका पीछा करने का आदेश दिया। हैड कान्स्टेबल रघुबीर सिंह ने मकान पर अंतिम हमला किया लेकिन उग्रवादी पहले ही मकान छोड़ चुके थे। हैड कान्स्टेबल पी० वी० ईप्पन ने अपने दल के साथ उग्रवादियों का पीछा किया और धान के खेतों में आगे बढ़ते रहे। नाले में छिपे एक उग्रवादी ने कान्स्टेबल जी० एस० नायर पर गोली चलायी। परन्तु कान्स्टेबल को कोई चोट नहीं आयी। जब उग्रवादी दुबारा उपर्युक्त कान्स्टेबल पर निशाना साध रहा था तो हैड कान्स्टेबल ईप्पन ने तेजी से गोली चला कर उसे मार डाला। इस सेक्शन ने एक और उग्रवादी को धान के खेत में बन्दूक के साथ पोजीशन लेते देखा। कान्स्टेबल रघुनाथ प्रसाद अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादी की तरफ तेजी से भागे और उसके साथ हाथापाई की। कान्स्टेबल शेर सिंह और हैड कान्स्टेबल ईप्पन, कान्स्टेबल रघुनाथ प्रसाद की मदद के लिए भागे और उग्रवादी को मार गिराया। शेष उग्रवादी भाग गए। इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया और एक पकड़ा गया। क्षेत्र में तलाशी लेने पर कुछ हथियार/गोला बारूद बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री रघुबीर सिंह, हैड कान्स्टेबल श्री पी० वी० ईप्पन, हैड कान्स्टेबल और श्री रघुनाथ प्रसाद, कान्स्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मई, 1983 से दिया जाएगा।

सं० 80-प्रेज/84—राष्ट्रपति भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सुरभंजन सिंह गोराया
सहायक कम्पनी कमाण्डर,
1 बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस।

श्री ए० रमेश पाल,
सहायक कम्पनी कमाण्डर,
VII बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

30 नवम्बर, 1982 को जब जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में डी० पी० आर० कोरिया और कुवैत के बीच नवें एशियाई खेलों के फुटबाल टूर्नामेंट का सेमी-फाइनल मैच खेला जा रहा था तो एक घटना घटी। जब कोरिया एक गोल से आगे था तो रैफरी ने कुवैत के पक्ष में एक पैनल्टी का निर्णय दिया। डी० पी० आर० कोरिया की टीम ने इस निर्णय का प्रतिरोध किया लेकिन रैफरी ने इस प्रतिरोध को स्वीकार नहीं किया। कुवैत वालों ने पैनल्टी किक से स्कोर बराबर कर दिया। इससे डी० पी० आर० कोरिया की टीम उसके समर्थक क्रोधित हो गए। कोरिया, कुवैत से 2 के मुकाबले 3 गोल से मैच हार गया।

अपराह्न लगभग 9.00 बजे जब टीमें मैदान से वापस लौट रही थीं तो कोरिया के खिलाड़ियों ने रैफरी को घेर लिया और उसको घूंसों और मुक्कों से मारा। कुछ कोरिया समर्थक जो लिड़कों, सीढ़ी को भांग कर गई, कैमरों की तिपाईयों आदि से लैस थे, रैफरी को निर्ममता से पीटने लगे। उसके सारे शरीर पर चोटें और खरोंचें आईं और बहुत खून बहने लगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस रैफरी की रक्षा के लिए गई लेकिन उसकी संख्या कम थी। इस समय श्री एच० एस० गोराया और श्री ए० आर० पाल जो ड्यूटी पर थे रैफरी की रक्षा के लिए बैठने वाले क्षेत्र से खेल के मैदान में कूदे। श्री पाल ने रैफरी को अपने शरीर से ढक लिया और श्री गोराया ने भीड़ को दूर रखने के लिए जूडो कराटे के कौशल का प्रयोग किया। इन दोनों अधिकारियों ने रैफरी की रक्षा करने के लिए अपने शरीर पर लाठियों के आघात सहे। स्थिति को काबू से बाहर पाकर श्री गोराया ने भीड़ को तितर-बितर करने तथा डराने के लिए अपना .9 एम० एम० का पिस्तौल निकाला। इससे भीड़ पर वांछनीय प्रभाव हुआ। इस प्रकार वे रैफरी की रक्षा कर सके।

इस घटना में श्री एच० एस० गोराया, सहायक कम्पनी कमाण्डर और श्री ए० रमेश पाल, सहायक कम्पनी कमाण्डर ने वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 नवम्बर, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 81-प्रेज/84—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री विक्रम सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
एटा, उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

28 मई, 1983 को श्री विक्रम सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को थाना अलीगंज/राजा का रामपुर के निकट ग्राम के बाग में अपराधी नेकसा के साथ 11-12 अन्य व्यक्तियों के पहुंचने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। गिरोह उन मुखबिरों के पूरे परिवार की हत्या करने की योजना बना रहा था जिन्होंने नेकसा के भाई डकू गेंदा को मारने में सहायता की थी।

श्री विक्रम सिंह उपलब्ध पुलिस बल के साथ उस क्षेत्र में गए और बल को बाग के उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में फैला दिया। पूर्व की ओर के क्षेत्र को अनारक्षित छोड़ दिया गया ताकि गिरोह दाऊगंज जा सके जहां उनके लिए घात लगाई गई थी। गिरोह ने बल की कार्यवाही को देखा और टार्चें जलाईं। श्री विक्रम सिंह ने उनको चेतावनी दी कि वे आत्मसमर्पण कर दें परन्तु गिरोह ने पुलिस बल की ओर गोली बारी शुरू कर दी। श्री विक्रम सिंह पोखर के पूर्व की ओर गए, जहां उन्होंने दो व्यक्तियों को देखा। उनमें से एक अपनी बन्दूक में बारूद गोलियां भर रहा था। श्री विक्रम सिंह ने आगे छलांग लगाई और डाकू के हाथों से बन्दूक छीन ली। जब वे दूसरे डाकू के साथ हाथापाई कर रहे थे तो पहला डाकू चाकू लेकर झपटा।

श्री विक्रम सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और डाकू के वक्षस्थल पर लात मारी तथा स्वयं को मुक्त कर लिया। तभी दोनों डाकू बाग में भाग गए। तत्पश्चात श्री विक्रम सिंह ने अपने दल को बुलाया। डाकुओं के गिरोह द्वारा भारी गोलाबारी किए जाने के बावजूद ज्यों ही बल बाग में दाखिल हुआ श्री विक्रम सिंह ने एक व्यक्ति की परछाईं देखी और उस पर गोली चलाई। तत्पश्चात डाकू नेकसा मृत पाया गया। बाग की पूरी खोज करने पर मालूम हुआ कि केवल नेकसा ने पुलिस के साथ मुठभेड़ करने का निर्णय किया था जबकि उसके साथी अंधेरे की आड़ में भाग गए थे। डाकू से एक .38 बोर का रिवाल्वर और एक डी० बी० बी० एल० .12 बन्दूक बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री विक्रम सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, असाधारण साहस, और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 मई, 1983 से दिया जाएगा।

सं० 82-प्रेज/84—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पोहलो राम, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 896/एल०
दिल्ली पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

11 सितम्बर, 1981 को रात्रि के लगभग 9.15 बजे तीन व्यक्तियों ने रोशनारा रोड़ के लिए एक आटो रिक्शा नं० 5367 किराये पर ली और कुछ गज चलने के बाद उन्होंने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा। वे एक देशी पिस्तौल की नोक पर ड्राइवर को सुखे नाले की ओर ले गए, उसको उसके पीछे से बांध दिया और उसका स्कूटर ले गए। कुछ समय बाद वह ड्राइवर एक अन्य ड्राइवर की मदद से अपराधियों का पीछा करने लगा और चुराया गया स्कूटर उसे बरफ खाना चौक, सब्जी मण्डी के पास मिला। अपराधियों ने अशोक मार्केट पर उनके स्कूटर पर गोली चलाई जिससे उस क्षेत्र में गश्ती ड्यूटी पर एक कांस्टेबल का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने अपराधियों का पीछा करने में ड्राइवरों का साथ भी दिया। अपराधी कोर्ट रोड़ पर एक खाली बंगले के बीच से बचकर भाग गए।

कांस्टेबल धर्मपाल राज निवास के बाहर डी-2 ड्राइव फ्लेतों की ओर गश्ती ड्यूटी पर था। उसने कुछ आवाजें सुनी, अपराधियों को देखा और उन्हें ललकारा। उनमें से एक अपराधी ने कांस्टेबल पर गोली चला दी जिसके कारण उसके बायें कंधे में चोट लगी। कांस्टेबल गिर गया और अपराधी बंगला नं० 8, कोर्ट रोड़ की चार दीवारी लांघ कर पार कर गए। कांस्टेबल पोहलो राम, जो पुलिस नियंत्रण कक्ष में गश्ती ड्यूटी पर था, इस बंगला के एक सर्वेंट क्वार्टर में अपने भाई के साथ रहता था। उसने अपराधियों को भागते में देखा और उनमें से एक के साथ हाथापाई की। दूसरे अपराधी ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए अपनी देशी पिस्तौल से एक गोली चलाई। श्री पोहलो राम को छाती में गम्भीर चोट आई। दोनों कांस्टेबलों को हिन्दू राव अस्पताल भेजा गया जहां कांस्टेबल पोहलो राम की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। अपराधी बचकर भाग गए।

कांस्टेबल पोहलो राम ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष कृत भत्ता भी दिनांक 11 सितम्बर, 1981 से दिया जाएगा।

सं० 83-प्रेज/84-शुद्धिपत्र—वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने से सम्बन्धित 14 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित 31 मार्च, 1984, की इस मन्त्रिमण्डल की अधिसूचना सं० 41-प्रेज/84, में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :—

पृष्ठ 1 पर

श्री चौंगखोलेट कुकी,
हवलदार सं० 13228,
प्रथम बटालियन, मणिपुर राइफल्स
के स्थान पर

श्री चौंगखोलेट कुकी,
हवलदार सं० 12228,
प्रथम बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
पढ़ें।

मु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1984

संकल्प

सं० ए० 11013/1/81-प्रशा० I—श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, जोकि एकजन आयोग के रूप में कार्य कर रहा है, का कार्यकाल 30 जून, 1984 को समाप्त हो रहा है। सरकार ने इस एकजन आयोग के कार्यकाल को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाने का निर्णय लिया है :—

(1) हाथ में लिये कार्य को पूरा करने के लिये आयोग के सभी मौजूदा पदों सहित (संख्या में 73) के कार्यकाल को एक महीने के लिये 31 जुलाई, 1984 तक बढ़ाया जाना, और

(2) स्थापना को बन्द करने और शेष बचे कार्य को निपटाने के लिये सीमित पदों (संख्या में 36) को 31 जुलाई, 1984 से आगे एक महीने की अवधि के लिये बढ़ाया जाना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में छापा जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सभी सम्बन्धितों को प्रेषित की जाये।

आर० वेंकटेशन, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 1984

संकल्प

सं० 8-2/79-आई० जे० एम० सी०—योजना आयोग के दिनांक जून, 1962 के संकल्प संख्या एफ० 13(39)/62-प्रशासन-I द्वारा गठित और दिनांक 29 दिसम्बर 1983 के संकल्प संख्या 8-2/79 आई० जे० एम० सी० द्वारा पुनर्गठित भारत और जापान में आर्थिक विकास से संबंधित अध्ययन के लिये समिति को तथा दिनांक 15 जनवरी, 1979 के संकल्प संख्या 8-2/79 आई० जे० सी० द्वारा "भारत जापान अध्ययन समिति" के रूप में पुनः पदनामित समिति को निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठित किया गया है :—

1. प्रो० अली मुहम्मद खुसरो	अध्यक्ष
2. श्री एम० वी० अरुणाचलम	सदस्य
3. श्री समर सेन	सदस्य
4. प्रो० एस० रामाशेषन	सदस्य
5. श्री मनुभाई देसाई	सदस्य
6. कुमारी के० शास्त्री	सदस्य सचिव

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारों, सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री कार्यालय मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सेना सचिव और विदेशों में स्थित भारत के सभी दूतावासों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये।

के० सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 जुलाई 1984

आदेश

सं० 27/12/84-सी०-कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप धारा 1 के खण्ड 2 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी० भवानी शंकर, संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) और श्री एम० एल० शाह, संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) को कम्पनी कार्य विभाग कथित धारा 209 क के उद्देश्यों के लिये प्राधिकृत करती है।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आदेश सं० 27/26/79-सी० एल-2 दिनांक 5-9-1979 के द्वारा श्री बी० भवानी शंकर के संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) कम्पनी विधि बोर्ड, मद्रास और श्री एम० एल० शाह, उप निदेशक (निरीक्षण), कम्पनी विधि बोर्ड, बम्बई के पक्ष में जारी किये गये प्राधिकार को रद्द करती है।

सी० एल० प्रथम, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1984

संकल्प

सं० ई० 11011/10/81-रा० भा०-वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन से संबंधित इस विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 1983 व 7 अक्तूबर, 1983 के संकल्पों द्वारा यथासंशोधित दिनांक 27 सितम्बर, 1981 के संकल्प सं० ई० 11011/10/81-रा० भा० में, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23-10-82 के भाग-I, खण्ड 1 के पृष्ठ संख्या 713 पर प्रकाशित हुआ था, "1-संरचना" के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात्:—

1. विद्यमान प्रविष्टि सं० "6-श्री बी० इब्राहिम, सदस्य राज्य सभा" तथा प्रविष्टि सं० "7-श्री आर० एन० पी० गुप्ता, सदस्य राज्य सभा" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात :—

"6—श्री भीमराज, सदस्य राज्य सभा" सदस्य

"7—श्री कैलाशपति मिश्र, सदस्य, राज्य सभा" सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

कु० श्री दिलीपसिंह जी, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1984

संकल्प

सं० ई० 11015/6/83-हिं० अ०-उद्योग मंत्रालय के दिनांक 13 फरवरी 1981 के संकल्प संख्या ई० 11015/3/80-हिं० अ० का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। समिति का गठन और कार्य आदि निम्न प्रकार होंगे:—

1. उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
2. उद्योग राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री डूंगर सिंह, सदस्य (लोक सभा) 227, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली	सदस्य
4. श्री राम सिंह यादव, सदस्य (लोक सभा), 14, जनपथ, नई दिल्ली	,,
5. आचार्य भगवान देव सदस्य (लोक सभा), 13, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110003।	,,
6. श्री रामचन्द्र भारद्वाज, सदस्य (राज्य सभा), 1-ए, सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली।	,,
7. श्री सुधाकर पाण्डेय, सदस्य (राज्य सभा) तथा महामंत्री नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।	,,
8. श्री आर० के० मालवीय, सदस्य (राज्य सभा) 171, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।	,,
9. श्री ओम मेहता, भूतपूर्व संसद सदस्य, 30, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।	,,
10. श्री वी० राधाकृष्णमूर्ति, विशेषाधिकारी, हिन्दी संघ, हैदराबाद-4	,,
11. डा० राम मनोहर त्रिपाठी, विधायक, महाराष्ट्र विधान परिषद, टाईम्स आफ इण्डिया भवन, पोस्ट बॉक्स सं० 213, बम्बई-400001	,,
12. श्री विनोद कुमार मिश्र, सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।	,,
13. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सम्पादक, अमर उजाला, गुरु का ताल, उद्योग नगर, आगरा।	,,
14. श्री आनन्द स्वरूप जैन, सम्पादक, माध्यम टाइम्स, नई दिल्ली।	,,

15. श्री धर्मवीर भारती,
सम्पादक,
टाइम्स आफ इण्डिया,
बम्बई।

16. श्री विद्या भास्कर, सदस्य
बी-4/18, हनुमानघाट,
वाराणसी।

17. श्री एम० के० वेलायुधन नायर,
मंत्री,
केरल हिन्दी प्रचार सभा,
तिरुवनन्तपुरम-695014।

18. डा० वीरेन्द्रकुमार दुबे,
प्राध्यापक,
कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
जबलपुर।

19. श्री आर० पी० पाण्डे,
उपाध्यक्ष,
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
33/2 स्टैनली रोड,
इलाहाबाद।

20. श्री युगल किशोर चतुर्वेदी,
कार्यकारी अध्यक्ष,
राजस्थान साहित्य सम्मेलन,
प्रियम्बदा सदन,
अशोक मार्ग, "सी" स्कीम,
जयपुर (राजस्थान)।

21. सचिव (औद्योगिक विकास विभाग)।

22. सचिव (भारी उद्योग विभाग)

23. सचिव (तकनीकी विकास एवं तकनीकी विकास के महानिदेशक)

24. सचिव,
राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार
के हिन्दी सलाहकार,
नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली।

25. अपर सचिव (औद्योगिक विकास विभाग)

26. वित्तीय सलाहकार (औद्योगिक विकास विभाग)

27. संयुक्त सचिव, (प्रभारी हिन्दी),
(भारी उद्योग विभाग)

28. संयुक्त सचिव, (प्रशासन),
(औद्योगिक विकास विभाग)

29. संयुक्त सचिव (प्रशासन),
(भारी उद्योग विभाग)

30. संयुक्त सचिव
औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

31. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग),
लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली।

32. विकास आयुक्त (लघु उद्योग),
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

33. आर्थिक सलाहकार,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

34. अध्यक्ष (औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो), लोकनायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्ली।

35. सीमेंट नियंत्रक,
सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय,
रोठी भवन, 7 राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली।

36. हिन्दी कार्य के प्रभारी, सदस्य सचिव
संयुक्त सचिव (औद्योगिक विकास विभाग)

2. कार्य

इस समिति का कार्य उद्योग मंत्रालय की सरकारी काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्य काल :

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्षों का होगा बशर्ते कि :—

(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहने पर इस समिति का सदस्य भी नहीं होगा।

(ख) समिति के पदेन-सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे अपने पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य शेष तीन वर्षों की अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

(1) समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान में भी कर सकती है।

5. यात्राभत्ता तथा अन्य भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति तथा उप-समितियों की बैठकों में समय-समय पर भाग लेने के लिये सरकार द्वारा निश्चित दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य निर्माण तथा विविध और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया गया कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

वीरेन्द्र कुमार खन्ना, संयुक्त सचिव

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 1984

संकल्प

सं० आर० सी०/9(16)/84—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये टायरों एवं ट्यूबों के अलावा रबड़ का सामान निर्माण उद्योग के लिये विकास तालिका का निम्न प्रकार से गठन करने का निर्णय लिया है :—

क्रम संख्या

1. श्री के० एस० फिलिप, — अध्यक्ष
   अध्यक्ष,
   इण्डियन रबड़-मैन्युफैक्चरर्स
   रिसर्च एसोसियेशन,
   प्लाट नम्बर बी–88, रोड "यू"
   वागले इण्डस्ट्रियल एस्टेट,
   थाणे–400604

2. अध्यक्ष, — सदस्य
   ऑल इण्डिया रबड़ इण्डस्ट्रीज,
   एसोसिएशन,
   नवजीवन सोसाइटी बिल्डिंग,
   नम्बर–3, आठवा तल,
   लेमिंग्टन रोड, बम्बई।

3. संयुक्त सचिव
   औद्योगिक विकास विभाग
   उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन,
   नई दिल्ली।

4. औद्योगिक सलाहकार (रसायन),
   विकास आयुक्त का कार्यालय,
   लघु उद्योग, निर्माण भवन,
   नई दिल्ली।

5. सलाहकार (रसायन),
   पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय,
   रसायन एवं उर्वरक विभाग,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

6. श्री एस० एस० सक्सेना,
   निदेशक,
   भारतीय मानक संस्थान,
   "मानक भवन",
   9 बहादुर शाह जफर मार्ग,
   नई दिल्ली–110002।

7. महा प्रबन्धक,
   टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०,
   (रबड़ प्रभाग)
   19, जवाहरलाल नेहरू रोड,
   कलकत्ता–700087।

8. महा प्रबन्धक,
   ऐन्ड्रयू यूले लिमिटेड,
   (बेल्टिंग प्रभाग),
   यूले हाउस,
   8, क्लाईव रो,
   कलकत्ता।

9. प्रबन्ध निदेशक,
   डनलप इण्डिया लिमिटेड,
   डनलप हाउस,
   57-बी, मिर्जा गालिब स्ट्रीट,
   कलकत्ता।

10. प्रबन्ध निदेशक,
    मै० फेनर इण्डिया लिमिटेड,
    मदुराय।

11. प्रबन्ध निदेशक,
    मै० बाटा शू कम्पनी, लिमिटेड,
    30, शेक्सपियर सारणी,
    कलकत्ता-17

12. प्रबन्ध निदेशक,
    मै० बंगाल वाटरप्रूफ वर्क्स,
    लिमिटेड,
    41, शेक्सपियर सारणी,
    कलकत्ता।

13. अध्यक्ष,
    दी रबड़ बोर्ड,
    पो० बॉ नं० 280,
    शास्त्री रोड,
    कोट्टयाम–686001 (केरल)

14. प्रबन्ध निदेशक,
    सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लि०,
    7, जमशेदजी टाटा रोड,
    पो० बॉ० नं० 11486
    बम्बई-400020

15. प्रबन्ध निदेशक,
    सुन्दरम् इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
    उसीलमपट्टी रोड,
    कोचाडई,
    मदुराय–265016

16. प्रबन्ध निदेशक,
    मै० रबड़ रिक्लेमिंग कम्पनी
    ऑफ इण्डिया (प्रा०) लि०,
    62-एम, "एम" ब्लॉक,
    कनॉट सर्कस,
    नई दिल्ली।

17. प्रबन्ध निदेशक,
    मै० हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड,
    त्रिवेन्द्रम।

18. प्रबन्धक निदेशक,
    मै० लाथिया रबड़ मैन्युफैक्चरिंग,
    कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड,
    साकीनाका कुर्ला,
    अन्धेरी रोड, बम्बई।

19. श्री एच० जी० देसाई,
    मै० गुजरात रिक्लेम एण्ड
    रबड़ प्रोडक्ट लिमिटेड,
    18, जी० आई० डी० सी० एस्टेट,
    अंकलेश्वर, जिला भरौंच,
    गुजरात।

20. डा० एस० डी० सी० राय,
    योजना अधिकारी,
    राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद,
    फोर्ड फाउण्डेशन बिल्डिंग,
    लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली।

21. प्रबंध निदेशक,
मैं० दी कॉसमॉस इण्डिया रबड़
वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड,
7, होमजी स्ट्रीट, फोर्ट,
बम्बई।

22. प्रबन्ध निदेशक,
मैं० स्वास्तिक रबड़ प्रोडक्टस लि०,
किरकी रेलवे स्टेशन के पीछे, पूना।

23. अपर औद्योगिक सलाहकार (रबड़) सदस्य सचिव
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन नई दिल्ली।

2. नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:—

(1) उद्योग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना उसका भावी विकास, मांग का अनुमान और मांग के अन्तराल को पूरा करने के बारे में कदम उठाने की सिफारिश करना।

(2) (क) प्रौद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन करना तथा उसका अपेक्षित स्तर तक उन्नयन करने का सुझाव देने और आधुनिकीकरण करने के लिये अभ्युपायों के बारे में सुझाव देना।

(ख) विकास के स्तर के बारे में विचार करना और डिजाइनों प्रक्रियाओं, जो भी लागू हो, के विकास के लिये अभ्युपायों के बारे में सुझाव देना।

(3) सामग्री और उर्जा उपयोग के मानदण्डों के बारे में सलाह देना, उनमें कमी करने के प्रयास और दक्षता व उत्पादिकता में सुधार करने के बारे में अभ्युपायों की सिफारिश करना।

(4) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिये आर्थिक और उत्पादन के अपेक्षित पैमानों के बारे में सलाह देना।

(5) उत्पाद, उसके कच्चे माल और अवयवों का आयात प्रतिस्थापन करने सम्बंधी अभ्युपाय सुझाना।

(6) निर्यात प्रवर्तन पर सलाह देना।

(7) उद्योग के विकास और उन्नति हित में नामिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य पहलुओं के बारे में सुझाव देना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० मंजराल,
निदेशक (प्रशासन)

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून, 1984

संकल्प

सं० ई०–11011/3/83-हिन्दी:—खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय खाद्य विभाग के सम-संख्यक संकल्प, दिनांक 22 सितम्बर, 1983 के क्रम में भारत सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित करती है:—

1. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग

2. वित्तीय सलाहकार, नागरिक पूर्ति विभाग

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक, लेखा नियंत्रक खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय और भारत के सभी मंत्रालय तथा विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया गया है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

यू० वी० पी० एल० नरसिम्हन,
उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 1984

परिशिष्ट

सं० 12–12/81-एफ० आर० वाई/एफ० आर० ई०:—6 फरवरी 1984 के समसंख्यक संकल्प द्वारा वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून के सम्बन्ध में एक प्रबन्ध समिति का गठन किया गया था। अब यह निर्णय किया गया है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सहायक महानिदेशक (सदस्य विज्ञान) इस प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे। समिति के गठन में अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस परिशिष्ट की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों राज्यों/विभागों, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, सभी राज्य सरकारों के राज्यपालों, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व, निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये परिशिष्ट भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

समर सिंह, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 1984

संकल्प

सं. 2–6/83-वानिकी/एफ० आई० पी० सी०—वैकल्पिक पैकेज प्रणाली द्वारा लकड़ी के प्रतिस्थापित करने अथवा उसका प्रयोग कम करने की समस्याओं पर विचार करने के लिये सं० 2–6/83-वानिकी

वानिकी/एफ० आई० पी० सी० दिनांक 3 दिसम्बर, 1983 के तहत जारी किये गये संकल्प के अनुसार एक कृतक बल का गठन किया गया है। कृतक बल को अपनी रिपोर्ट संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करना थी। कृतक बल विभिन्न बाधाओं के कारण निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दे सका। अतः दिनांक 1 मई, 1984 के समसंख्यक संकल्प द्वारा इसकी अवधि तीन माह के लिये अर्थात् जून, 1984 तक बढ़ा दी गई। अब यह निर्णय लिया गया है कि कृतक बल की अवधि और अर्थात् 31 अगस्त, 1984 तक बढ़ा दी जाये।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी जाये।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

संकल्प

सं० 2-6/83-वानिकी/एफ० आई० पी० सी०—वैकल्पिक पैकेज प्रणाली द्वारा लकड़ी के प्रतिस्थापित करने अथवा उसका प्रयोग कम करने की समस्याओं पर विचार करने के लिये सं० 2-6/83-वानिकी/एफ० आई० पी० सी० दिनांक 3 दिसम्बर 1983 के तहत जारी किये गये संकल्प के अनुसार एक कृतक बल का गठन किया गया है। कृतक बल को अपनी रिपोर्ट संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करनी थी। कृतक बल विभिन्न बाधाओं के कारण निर्धारित अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दे सका। अतः दिनांक 1 मई, 1984 के समसंख्यक संकल्प द्वारा उसकी अवधि तीन माह के लिये अर्थात् जून, 1984 तक बढ़ा दी गई। अब यह निर्णय लिया गया है कि कृतक बल की अवधि और अर्थात् 31 अगस्त, 1984 तक बढ़ा दी जाये।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी जाये।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

दीन दयाल, अवर सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून, 1984

सं० एफ० 7-34/84 पी० एन०-1—डा० अनिल मदगोपाल, किशोर भारती पी० ओ० बनखेरी, जिला होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) का राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की सदस्यता से 22-3-1984 से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित कर दी जाये।

के० के० खुल्लर,
निदेशक

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

श्रम विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 1984

सं० क्यू० 16012/5/83-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के निगम और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से श्री आर० सी० खेरपाल सहायक शैक्षणिक सलाहकार, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के स्थान पर डा० वी० वेंकटसेशैया, आर निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली, को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है।

सं० क्यू-16012/1/83-डब्ल्यू० ई०-केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(vi) के अनुसरणों में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना की जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये श्रम सचिव राजस्थान सरकार, श्रम सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार और आयुक्त व सचिव, बिहार सरकार, को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की तारीख 15 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या क्यू-16012/3/79-डब्ल्यू० ई० में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे:—

वर्तमान प्रविष्टि अर्थात्:—

5. सचिव, उड़ीसा सरकार,
श्रम विभाग, भुवनेश्वर।

6. सचिव, केरल सरकार,
त्रिवेन्द्रम।

7. सचिव, महाराष्ट्र सरकार,
श्रम विभाग, बम्बई।

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:—

5. सचिव, राजस्थान सरकार,
श्रम विभाग, जयपुर।

6. सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार,
श्रम, रोजगार, पोषण और
तकनीकी शिक्षा विभाग,
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

7. आयुक्त व सचिव,
बिहार सरकार,
श्रम, योजना और प्रशिक्षण विभाग,
बिहार (पटना)"

चित्रा चोपड़ा, निदेशक,

No. 77-Press|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Jai Chand Sharma
Sub-Inspector Civil Police,
Station Officer, GRPS,
Meerut City, Meerut.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 18th March, 1983, at 10.35 A.M. Shri Jai Chand Sharma, Sub-Inspector, received information about the smugglers who were sitting near the Southern location box of Platform No. 1 with 20 Kgs. of opium buds. The opium was intended to be smuggled to Punjab. Shri Sharma alongwith one Head Constable, three Constables and the informer rushed to the spot. On seeing the police party, the smugglers started moving towards the South with their bag containing opium buds. Shri Sharma rushed towards the smugglers and pounced upon the man carrying the bag and took him in his grip. The culprit shouted for help and asked his accomplice to kill the Sub-Inspector with his sword. The accused Shiv Baran Singh gave a sword blow on the head of the Sub-Inspector who was seriously injured. Despite this he did not allow the culprit to escape.

After hitting the Sub-Inspector the accused Shiv Baran Singh tried to escape but was chased and over-powered alongwith the sword by the police party. Both the arrested accused were found to be the residents of District Amritsar, Punjab.

Shri Jai Chand Sharma Sub-Inspector, exhibited gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th March, 1983.

No. 78-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of he Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Mohammed Hasnain,
Sub-Inspector of Police,
Kharagpur, Bihar,

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 15th|16th February, 1983 at about 10.00 pm. Shri Mohammed Hasnain, Sub-Inspector, received information about the presence of 10-15 armed Naxalities near village Lauri, Gobadda who were planning to commit a murder. Shri Hasnain alongwith a police party consisting of 6 police personnel reached village Gobadda . On enquiry he was informed that the Naxalities had collected some local people and were holding a meeting near village Lauri in an bandoned BASA (Hut). The police party accompanied by wo villagers reached near the BASA and noticed some ight and heard some people speaking in low tune. The olice party challenged them and asked them to disclose their lentity. They in response questioned the police party. When he police party disclosed their identity, the Naxalities open- d fire on them. Shri Hasnain and the police party also eturned the fire. The firing in the night attracted the people f village Larui who collected in hundreds and went alongith the police party to BASA. On arrival at the main entance of BASA they found a dead body with a .303 rifle lying ext to him. On search of the adjacent area another dead ody was found. The dead were later on identified as Zabbar nd Kanti Naxalities. One .303 rifle, one country made istol and some ammunition were recovered from them.

In this encounter Shri Mohammed Hasnain, Sub-Inspector xhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty f a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the ules governing the award of the Police Medal and consequenly carries with it the special allowance admissible under ule 5, with effect from the 16th February, 1983.

No. 79-Pres.|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri Raghubir Singh,
Head Constable, CRPF.

Shri P. V. Eappan,
Head Constable, CRPF.

Shri Raghunath Prasad,
Constable, CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded

Two Platoons of Central Reserve Police Force were deployed at Ompi (Tripura) for anti-insurgency duties. On the 24th May, 1983, information was received that a few extremists were hiding in a house on a hillock at Lungthang Basti of Dhanlekha area. The two sections of CRPF under the command of Head Constable Raghubir Singh were detailed to report at Police Station Ompi. Shri P. V. Eappan, Head Constable, was in charge of one section and Constable Raghunath Prasad was member of the same section. After analysing the information, the party left Ompi alongwith one Assistant Sub-Inspector of local police for Kaipengpara (Dhanlekha area).

Head Constable Raghubir Singh divided the party into two groups and led the first group himself. He asked the other group under Head Constable P. V. Eappan to follow them at a distance of 50 yards. When the leading party under Head Constable Raghubir Singh was about 50 yards short of the indicated house, they were sudenly fired upon by the extremists from the house. He asked his men to take position and ordered the other section to open fire. He himself started crawling towards the extremists to encircle them. In the meantime the extremists, four to five in numbers were seen fleeing. He ordered the other section to follow them. Head Constable Raghubir Singh with his section made final assault on the house but the extremists had already left the house. Head Constable P. V. Eappan with his party chased the extremists and continued to advance through the paddy fields. One extremist, who was hiding in the nullah, fired at Constable G. S. Nair. The Constable, however, escaped unhurt. When the extremist was further aiming at the aforesaid constable, Head Constable Eappan quickly shot him down. This Section spotted another extremist in the paddy field taking position with his gun. Constable Raghunath Prasad, unmindful of his personal safety, ran towards the extremist with lightening speed and grappled with him. Constable Sher Singh and Head Constable Eappan rushed to help Constable Raghunath Prasad and hit the extremist down. The remaining extremists fled away. In this encounter one extremist was killed and one was apprehended. Certain arms|ammunition were recovered on search of the area.

In this encounter Shri Raghubir Singh, Head Constable, Shri P. V. Eappan, Head Constable, and Shri Raghunath Prasad, Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th May, 1983.

No. 80-Pers|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Indo-Tibetan Border Police :—

Names and rank of the officers

Shri Harbhajan Singh Goraya,
Asstt. Company Commander,
I Bn., ITB Police.

Shri A. Ramesh Paul,
Asstt. Company Commander,
VII Bn, I.T.B. Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 30th November, 1982, when the semi-finals of the IX Asian Games Football tournaments were being played at

Jawaharlal Nehru Stadium between DPR Korea and Kuwait, an incident took place. When Korea team was one goal up the Referee awarded a penalty in favour of Kuwait. The DPR Korean team protested against this decision but the protests were rejected by the Referee. The Kuwaitis equalised the score with the penalty kick. This infuriated the DPR Korean team and their supporters. The Koreans lost, the match to Kuwaitis by 2-3 goals.

At about 9.00 p.m., when the teams were returning from field, the Korean players surrounded the Referee and attacked him with fists and blows. Some of the Korean supporters, who were armed with sticks, iron flag rods, tripods of Cameras, etc., started beating the Referee mercilessly. He received out injuries and bruises all over his body and started bleeding profusely. The Police on duty rushed to the rescue of the Referee but they were out-numbered. At this juncture Shri H. S. Goraya and Shri A. R. Paul who were on duty jumped out from the seating arena to the playing ground for rescuing the Referee. Shri Paul covered the Referee with his body and Shri Gorava made use of Judo Karate skill to keep the mob at bay. Both the officers took lathi blows on their bodies to save the Referee. Shri Goraya finding the situation beyond control took out his 9 mm pistol to disperse to frighten the mob. This had a salutary affect on the mob. Thus, they were able to rescue the Referee.

In this incident Shri Harbhajan Singh Goraya, Assistant Company Commander, and Shri A. Ramesh Paul, Assistant Company Commander, exhibited gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th November, 1982.

No. 81-Pers/84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Vikram Singh,
Sr. Supdt. of Police,
Etah, (U.P.)

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 28th May, 1983, Shri Vikram Singh, Senior Supdt. of Police, Etah, received information about the arrival of criminal Neksa alongwith 11-12 others in the Mango-grove near village Akbarpurkot. The gang was planning to murder the entire family of the informers who had helped in the liquidation of dacoit Genda, the real brother of Neksa.

Shri Vikram Singh proceeded to the area with the available police force and spread out the force in the North-West of the grove. The Eastern side was left unguarded to allow the gang to proceed to Daudganj where an ambush was laid for them. The gang noticed the movement of the police force and flashed torches. The SSP challenged them to surrender but they started firing in the direction of police party. Shri Vikram Singh rushed towards the eastern side of the pond where he saw two persons, one of them was reloading his gun. Shri Vikram Singh leaped forward and picked the gun out of the hands of the dacoit. While he was grappling with the other dacoit, the first dacoit flung on him with a knife. Shri Vikram Singh cought hold of his hand and kicked into the groin of the dacoit and freed himself. The two dacoits then fled away into the grove. Shri Vikram Singh thereafter summoned his group and approached the grove in the face of heavy firing from the dacoit gang. As the group moved in the grove, Shri Vikram Singh saw the shadow of a person, and fired at him almost blank range. Later on the dacoit Neska was found dead. A thorough search of the grove revealed that only Neksa had decided to take on the encounter with the police while his associates had made good their escape in the darkness. One .38 bore revolver and one DBBI .12 gun were recovered from the dacoit.

In this encounter Shri Vikram Singh, Senior Supdt. of Police exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th May, 1983.

No. 82-Pers/84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the officer

Shri Pohlo Ram. (Posthumous)
Constable No. 896/L,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th September, 1981 at about 9.15 p.m. three persons hired an Auto-rickshaw No. DLR-5367 for Roshanara Road and after moving for a few yards, they ordered the driver to stop. They took the driver towards the dry drain at the point of a country made revolver, tied him with his turban and drove away his scooter. After sometime, the driver with the help of another scooter driver started chasing the culprits and came across the stolen scooter near Baraf-Khana Chowk, Subzi Mandi. The culprit fired a shot at their scooter near Ashoka Market which attracted a Constable who was on patrol duty in the area. He also accompanied the driver in the chase. The culprits escaped through a vacant Bungalow on Court Road.

Constable Dharam Pal was on patrol duty outside Raj Niwas towards D-2, Type Flats. He heard some noises, noticed the culprits and challenged them. One of the culprits fired at the Constable causing injury to his left shoulder. The Constable fell down and the culprits crossed over the boundry wall of Bungalow No. 8, Court Road. Constable Pohlo Ram who was posted at the Police Control Room was living with his brother in a servant quarter of this Bungalow. He found the culprits in the compound and grappled with one of them. The other culprit fired a shot with his country made pistol to free his accomplice. Shri Pohlo Ram received serious injuries in the chest. The two Constables were removed to Hindu Rao Hospital where Constable pohlo Ram succumbed to his injuries. The culprits managed to escape.

Constable Pohlo Ram thus exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible unde rule 5, with effect from the 11th September, 1981.

No. 83-Pres/84—Corrigendum.—The following amendmen is made in this Secretariat Notification No. 41-Pres/84, date the 31st March, 1984, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 14th April, 1984, relating to the award of President's Police Medal for gallantry :—

At page 1

For Shri Chongkholet Kuki,
Havildar No. 13228,
1st Bn. Manipur Rifles.

Read Shri Chongkholet Kuki,
Havildar No. 12228.
1st Bn. Manipur Rifles.

S. NITAKANTAI
Deputy Secretary to the Presiden

CABINET SECRETARIAT

RESOLUTION

New Delhi, the 30th June 1984

F. No. A.11013/1/81-Ad.J.—The term of the Economic Administration Reforms Commission functioning as a One-Ma Commission under the Chairmanship of Shri L. K. Jha expiring on 30th June, 1984. Government have decided t extend the term of the One-Man Commission, as under :—

(i) Extension of the term of the Commission with al its existing posts (73 in number) for one month ti 31st July, 1984 for completing the items of wor in hand; and

(ii) extension for a limited number of posts (36 in number) for one more month beyond 31st July, 1984 for winding up of the establishment and completing residual work.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

R. VENKATESAN, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 16th June 1984

RESOLUTION

No. VIII-2/79-IJSC.—The Committee for Studies on Economic Development in India and Japan set up vide Planning Commission Resolution No. F. 13(39)/62-Admn.I dated 1st June 1962 and last reconstituted vide Planning Commission Resolution No. VIII-2/79-IJSC dated 29th December 1983 and redesignated as "India-Japan Study Committee vide resolution No. VIII-2/79-IJC dated 15th January 1979 has been further reconstituted as follows :

Chairman

Prof. Ali Mohammed Khusro.

Members

Mr. M. V. Arunachalam.

Mr. Samar Sen.

Prof. S. Ramaseshan.

Mr. Manubhai Desai.

Member-Secretary

Mr. K. Shastri

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, all Chief Ministers of States, all Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Military Secretary to the President and Heads of all-India Missions abroad.

ORDERED also that a copy be published in the Gazette of India.

K. C. AGARWAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 2nd July 1984

ORDER

No. 27/12/84-CL-II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri B Bhavani Shankar, Joint Director (Inspection) and Shri M. L. Sah, Joint Director (Inspection) in the Department of Company Affairs, for the purpose of the said Section 209A.

2. The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shri B. Bhavani Shankar as Joint Director (Inspection), Company Law Board, Madras and Shri M. L. Sah as Deputy Director (Inspection), Company Law Board, Bombay vide order No. 27/26/79-CL-II dated 5-9-1979.

C. I. PRATHAM, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 30th June 1984

RESOLUTION

No. E-11011/10/81-O.L.—In the Resolution No. E-11011/10/81-OL dated 27th Sept. 1982, as amended by Resolutions dated 11-8-83 & 7-10-83 constituting the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Finance, issued by this Department and published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, dated 23-10-82 at page 713, under "I-Composition", the following amendments shall be made therein, viz. :—

1. The existing entries No. "6. Shri B. Ibrahim, Member, Rajya Sabha", and entry No. "7. Shri R. L. P. Gupta, Member, Rajya Sabha" shall be substituted by the following, viz., "6. Shri Bhim Raj, Member, Rajya Sahba" Member, and "7. Shri Kailashpati Mishra, Member, Rajya Sahba" Member.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues, all Members of the Samiti, and all the Ministries, and Departments of the Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. DILIPSINHJI, Add. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 27th June 1984

RESOLUTION

No. E.11015/6/83-HS.—In supersession of the Ministry of Industry's Resolution No. E-11015/3/80-HS dated 13th February, 1981 the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Industry. Composition and functions etc. of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Minister of Industry.

Vice-Chairman

2. Minister of State in the Ministry of Industry.

Members

3. Shri Doongar Singh,
Member (Lok Sabha),
227, North Avenue,
New Delhi.

4. Shri Ram Singh Yadav,
Member (Lok Sabha),
14, Janpath,
New Delhi.

5. Acharya Bhagwan Dev,
Member (Lok Sabha),
13, Lodhi Estate,
New Delhi.

6. Shri Ram Chander Bhardwaj,
Member (Rajya Sabha),
1-A, Sunhery Bag Road,
New Delhi.

7. Shri Sudhakar Pandey,
Member (Rajya Sabha) &
General Secretary,
Nagri Prachrini Sabha,
Varanasi.

Sl. No. Members

8. Shri R. K. Malviya,
Member (Rajya Sabha),
171, North Avenue,
New Delhi.

9. Shri Om Mehta,
Ex-Member of Parliament,
30, Prithviraj Road,
New Delhi.

10. Shri V. Radhakrishnamurti,
Special Officer,
Hindi Sangh,
Hyderabad.

11. Dr. Ram Manohar Tripathi,
M.L.A.,
Maharashtra Vidhan Parisad,
Times of India Bhavan,
Dr. Dada Bhai Nauroji Road,
Post Box No. 213,
Bombay-400001.

12. Shri Vinod Kumar Misra
Editor, Dainik Hindustan,
New Delhi.

13. Shri Anil Kumar Aggarwal,
Editor, Amar Ujala,
Guru Ka Tal,
Udyog Nagar,
Agra.

14. Shri Anand Swarup Jain,
Editor,
Sandhya Times,
New Delhi.

15. Shri Dharamvir Bharti,
Editor,
Times of India,
Bombay.

16. Shri Vidya Bhaskar,
B-4|18, Hanuman Ghat,
Varanasi.

17. Shri M. K. Velayudhan Nair,
Secretary,
Keral Hindi Prachar Sabha,
Tiruvanantpuram-695014.

18. Shri Virendra Kumar Dubey,
Lecturer,
Art & Vanijya Mahavidhalaya,
Jabalpur.

19. Shri R. P. Pandey,
Vice Chairman,
Higher Education Commission,
33|2, Stenly Road,
Allahabad.

20. Shri Yugal Kishore Chaturvedi,
Acting Chairman,
Rajasthan Sahitya Sammelan,
Priyamvada Sadan, Ashok Marg,
'C' Scheme, Jaipur (Rajasthan).

21. Secretary,
Department of Industrial Development.

22. Secretary,
Department of Heavy Industry.

23. Secretary,
Technical Development & DG
(DGTD).

24. Secretary,
Department of Official Language &
Hindi Adviser to the Govt. of India
North Block, New Delhi.

25. Additional Secretary,
Department of Industrial Development.

Sl. No. Members

26. Financial Adviser,
Department of Industrial Development.

27. Joint Secretary (Hindi),
Department of Heavy Industry.

28. Joint Secretary (Admn.),
Department of Indl. Dev.

29. Joint Secretary (Admn.),
Department of Heavy Industry.

30. Joint Secretary, (SIA),
Department of Ind. Dev.

31. Joint Secretary,
Department of Official Language.

32. Development Commissioner,
Small Scale Industries,
New Delhi.

33. Economic Adviser,
Ministry of Industry,
New Delhi.

34. Chairman,
Bureau of Industrial Costs &
Prices, Lok Nayak Bhavan,
New Delhi.

35. Cement Controller,
Office of the Cement Controller,
Sethi Bhavan, Rajendra Place,
New Delhi.

Member-Secretary

36. Joint Secretary (Hindi),
Department of Industrial Development.

II. *Functions* :

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry of Industry on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes and allied issues falling within the framework of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language).

III. The terms of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that :—

(a) a member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) Ex-Officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti; and

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual terms of three years.

IV. *General* :

(i) The Samiti may coopt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint Sub-Committees as may be considered necessary,

(ii) The headquarter of the Samiti Shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. *Travelling and other Allowances* :

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-Committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State-Governments, Union Territory Administration, Prime Minister's Secretariat Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant

General, Commerce, Works & Miscellaneous and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. CHANNA, Jt. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th June 1984

RESOLUTION

No. RC|9(16)|84.—Government of India have decided to form the Development Panel for Rubber Goods manufacturing Industry other than Tyres and Tubes, with the following composition for the period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

S. No.

1. Shri K. M. Phillip,
President,
Indian Rubber Manufacturers' Research Association,
Plot No. B-88, Road 'U',
Wagle Industrial Estate,
Thane 400 604.

Members

2. President,
All India Rubber Industries Association,
Navjivan Society Building,
No. 3, 8th floor,
Lamington Road, Bombay.

3. Joint Secretary,
Department of Industrial Development, Ministry of Industry, Udyog Bhavan,
New Delhi.

4. Industrial Adviser (Chem.),
Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, Nirman Bhavan,
New Delhi.

5. Adviser (Chemicals),
Ministry of Petroleum & Chemicals, Deptt. of Chemicals and Fertilizers,
Shastri Bhavan,
New Delhi.

6. Shri M. S. Saxena,
Director,
Indian Standards Institution,
'Manak Bhavan',
9, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.

7. General Manager,
Tyre Corporation of India Ltd.,
(Rubber Division),
19, Jawaharlal Nehru Road,
Calcutta-700 087.

8. General Manager,
Andrew Yule Ltd.,
Yule House,
8, Clive Row,
Calcutta.

9. Managing Director
Dunlop India Limited,
Dunlop House,
57-B, Mirza Ghalib Stree,
Calcutta.

10. Managing Director,
M|s. Fenner India Ltd.,
Madurai.

11. Managing Director,
M|s. Bata Shoe Co., Ltd.,
30, Shakespeare Sarani,
Calcutta-17.

12. Managing Director,
M|s. Bengal Materproof Works Limited,
42, Shakespear Sarani,
Calcutta.

13. Chairman,
The Rubber Board,
P. B. No. 280,
Sastri Road,
Kottayam-686001 (Kerala).

14. Managing Director,
Synthetic & Chemicals Ltd.,
7, Jamshedji Tata Road,
P. B. No. 11486,
Bombay-400 020.

15. Managing Director,
Sundram Industries Pvt. Ltd.
Usilampatti Road,
Kochadai,
Madurai-265016.

16. Managing Director,
M|s. Rubber Reclaims Co., of India (Pvt.) Ltd.,
62-L, "L" Block,
Connaught Circus,
New Delhi.

17. Managing Director,
M|s. Hindustan Latex Limited,
Trivandrum.

18. Managing Director,
M|s. Lathia Rubber Manufacturing Co. (P) Ltd.,
Sakinaka Kurla,
Andheri Road, Bombay.

19. Shri W. G. Desai,
M|s. Gujarat Reclaim & Rubber Products Ltd.,
8, G.I.D.C. Estate,
Ankleshwar, District Bharauch,
Gujarat.

20. Dr. N. V. C. Rao,
Project Officer,
National Productivity Council,
Ford Foundation Building,
Lodi Colony,
New Delhi.

21. Managing Director,
M|s. The Cosmos India Rubber Works (P) Ltd.,
7, Homjee Street, Fort,
Bombay.

22. Managing Director, M|s. Swastik Rubber Products Ltd.,
M|s. Swastik Rubber Products Ltd.,
Behind Kirkee Railway Station,
Pune.

Member—Secretary

23. Additional Industrial Adviser (Rubber),
Director General of Technical Development,
Udyog Bhavan,
New Delhi.

2. Terms of reference to the Development Panel would be as under :—

i. To review the present status of industry, perspectives for its future growth, estimate the demand and recommend steps to cover gaps.

ii. (a) To evaluate the status of technology and suggest measures for upgrading the same to bring it up to the desired level, and to suggest measures for modernisation.

(b) To consider the level of [illegible] and suggest measures for developmen[illegible] as applicable.

iii. To advise on norms for material and energy consumption, steps for reduction in the same and to recommend measures for improvement of efficiency and productivity.

iv. To advise on the economic and desirable scales of production for different sectors of the industry.

v. To suggest measures for import substitution of the product, its raw materials, and components.

vi. To advise on steps for export generation.

viii. Any other aspect which the panel deems important in the interest of the growth and development of the industry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Administration)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF FOOD)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th June 1984

No. E-11011|3|83-Hindi.—In continuation of Ministry of Food & Civil Supplies, Department of Food Resolution of even number, dated the 22nd Sept., 1983 the Government of India hereby nominate the following officials as members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Food and Civil Supplies.

(1) Financial Adviser, Department of Food.

(2) Financial Adviser, Department of Civil Supplies.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat. Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat. Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts, Ministry of Food & Civil Supplies and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information .

U. V. V. L. NARASIMHAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 25th June 1984

ADDENDUM

No. 12-12|81-FRY-FRE.—By Resolution of even number dated the, 6th February, 1984, a Management Committee in respect of the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, was established. It has now been decided that the Assistant Director-General (Agronomy), Indian Council of Agriculture Research will also be a member of this Management Committee There will be no other change in the Competition of the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Addendum be communicated to all the State Governments|Union Territories, All Ministries| Departments of Government of India, Cabinet Secretariat. Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Governors of all State Governments, the Planning Commission, the Comptroller & Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues, the Director, Commercial Audit, Indian Council of Agricultural Research.

ORDERED also that the Addendum be published in the Gazette of India for general information.

SAMAR SINGH, Jt. Secy.

RESOLUTION

Ne Dwelhi, the 28th June 1984

No. 2-6|83-FRY|FIPC.—As per resolution issued vide No. 2-6|83-FRY|FIPC dated the 3rd December, 1983 a Task Force was constituted to go into the problems of substituting or reducing the use of wood by alternative packaging systems. The Task Force was required to submit its report within a period of three months from the date of issue of the resolution. Due to various constraints the Task Force could not finalise its report within the stipulated period. Its tenure was, therefore, extended for a period of three months i.e. upto 3rd June, 1984 vide resolution of even number dated 1st May, 1984. It has now been decided to extend the tenure of the Task Force further i.e. upto 31st August, 1984.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DEEN DAYAL, Under Secy.

MIISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 23rd June 1984

No. F.7-34|84-PN.I.—The resignation of Dr. Anil Sadgopal, Kishore Bharati, P. O. Bankheri, Distt. Hoshangabad (Madhya Pradesh) from the membership of the National Commission on Teachers-I has been accepted with effect from 22-3-1984.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories and to all Ministries|Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

K. K. KHULLAR, Director

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 25th June 1984

No. Q-16012|5|83-WE.—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education the Government of India hereby nominate Dr. V. Venkata Seshaiah, Additional Director, Directorate of Adult Education, Ministry of Education & Culture, New Delhi as a member of the Governing Body of the Central Board for Workers Education vice Shri R. C. Khetrapal, Assistant Education Adviser, Ministry of Education and Culture (Department of Education), Government of India, New Delhi with effect from the date of issue of the Notification.

No. Q-16012|1|83-WE.—In pursuance of Rule 3(vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint the Labour Secretary to the Government of Rajasthan, Labour Secretary to the Government of Andhra Pradesh and Commissioner-cum-Secretary to the Government of Bihar as members on the Central Board for Workers Education for a period of two years from the date of issue of the Notification.

2. The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012|3|79-WE dated 15th May, 1981 published in the Gazette of India Part-I Section-I.

For the existing entry *viz* :—

"5. Secretary to the Government of Orissa, Labour Department, Bhubaneswar."

6. Secretary to the Government of Kerala, Trivandrum.

7. Secretary to the Government of Maharashtra, Labour Department, Bombay."

The following entry shall be substituted *viz* :—

"5. Secretary to the Government of Rajasthan, Labour Department, Jaipur.

6. Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Labour, Employment, Nutrition and Technical Education Department, Hyderabad, (A.P.).

7. Commissioner-cum-Secretary, Government of Bihar, Labour, Planning and Training Department, Patna (Bihar)."

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984